



प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 27.01.2026



"मिशन शक्ति फेज-5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा को मिला न्याय –
मा0 न्यायालय सोनभद्र द्वारा दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60 हजार
रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित"

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व न्याय सुनिश्चित करने हेतु जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे #OperationConviction अभियान के अंतर्गत एक अहम सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी पैरवी एवं सशक्त पुलिस-न्याय प्रणाली के समन्वय से दुष्कर्म के प्रकरण में आरोपी को मा0 न्यायालय ASJ/गै0/CAW, सोनभद्र द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 60,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रकरण का विवरण:-

थाना:- रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

मु0अ0सं0:- 879/16

धाराएं:- धारा 376, 313, 506 भादवि।

आरोपी:- संतोष पुत्र जगजीवन निवासी बोझ थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली।

मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा का विवरण:-

धारा 376 भादवि में-

- 10 वर्ष का कठोर कारावास।
- ₹ 25,000/- का अर्थदण्ड।

धारा 313 भादवि में-

- 10 वर्ष का कठोर कारावास।
- ₹ 25,000/- का अर्थदण्ड।

धारा 506 भादवि में-

- 05 वर्ष का कठोर कारावास।
- ₹ 10,000/- का अर्थदण्ड।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका:-

इस केस में थाना रॉबर्टसगंज पुलिस, कोर्ट मोहरीर, अभियोजन पक्ष एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल की संगठित व सतत प्रयासों से न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिससे अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया। यह सजा न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि समाज में एक सशक्त संदेश भी देती है कि महिला एवं बाल अपराधों पर अब कोई भी अभियुक्त बच नहीं सकेगा।

